न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2018 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती रंजू भण्डारी पत्नी स्व॰ श्री सागरमल भण्डारी जाति जैन निवासी मकान नं॰ ई–23, गोखले मार्ग,सी–स्कीम, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मनीष भण्डारी पुत्र स्व॰ श्री सागर मल भण्डारी जाति जैन
2. श्रीमती शालिनी भण्डारी पत्नी श्री मनीष भण्डारी जाति जैन
3. श्री आलोक भण्डारी स्व॰ श्री सागर मल भण्डारी जाति जैन
4. श्रीमती मीरा भण्डारी पत्नी श्री आलोक भण्डारी जाति जैन

निवासीयान मकान नं॰ ई–23, गोखले मार्ग,सी–स्कीम, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 15.12.2017 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 50/2017 ब उनवानी श्रीमती रंजू भण्डारी बनाम मनीष भण्डारी व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थिया स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या एक के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 25.01.2021

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 50/2017 ब उनवानी श्रीमती रंजू भण्डारी बनाम मनीष भण्डारी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थिया ने लिखित बहस पेश कर अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी की दूसरी शादी श्री सागरमल जी भण्डारी के साथ वर्ष 2006 में हुई थी। सागरमल पूर्व में विवाहित थे, जिनकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री रेणु भण्डारी, पुत्र मनीष भण्डारी एवं पुत्र आलोक भण्डारी पैदा हुये थे। रेणु भण्डारी शादी होने के पश्चात अपने ससुराल में निवास करने लगी। रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 उक्त मकान नं॰ ई–23, गोखले मार्ग सी–स्कीम जयपुर में निवास करते है। श्री

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

सागरमल भण्डारी की प्रथम पत्नी श्रीमती तारा देवी का देहावसान हो जाने के पश्चात सागरमल भण्डारी ने अपीलार्थिया से विधिवत दूसरा विवाह किया था। विवाह का पंजीयन कराया गया था। रेस्पोडेन्ट 1 व 3 अपीलार्थिया के पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 पुत्रवधु है। वर्ष 2013 में अपीलार्थिया के पति सागरमल भण्डारी का आकस्मिक निधन हो गया। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट ने मिल कर अपीलार्थिया को उक्त मकान मे स्थित कमरों में से एक कमरे में रहने हेतु सीमित कर दिया और उसके अतिरिक्त सभी अधिकारो से वंचित कर दिया और तरह तरह की यातनायें देने लगे। अपीलार्थिया विगत चार वर्षो से रेस्पोडेन्ट्स के उपरोक्त अत्याचार सहन करती आ रही है। माह अप्रेल 2017 में अपीलार्थिया अपने चचेरे भाई के पास जापान गई हुई थी, तब वह दिनांक 24.05.2017 को वापिस जयपुर आई एवं अपने मकान में पहुंची तो चौकीदार ले अपीलार्थिया को उसके पति के द्वारा छोडी गई सम्पत्ति में ही प्रवेश नहीं करने दिया और कहा कि रेस्पोडेन्ट्स ने निर्देश दिये है कि अपीलार्थिया को मकान में प्रवेश ना करने दिया जावे। अपीलार्थिया इस घर में 12 वर्ष से निवास कर रही है। सागरमल जी की शादी के बाद अपीलार्थिया उक्त मकान में ही निवास करती आ रही है। अपीलार्थिया दिनांक 25.04.2017 को आयुक्त महोदय से मिल कर अपनी व्यथा बतायी, तो उन्होंने पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कहा। जिस पर अपीलार्थिया ने रिपोर्ट पेश की, तदुपरान्त पुलिस थाना अशोक नगर द्वारा अपीलार्थिया के साथ पुलिस कर्मी को भेजा गया, परन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्टगण ने अपीलार्थिया के मकान का गेट नही खोला और घर में प्रवेश नहीं करने दिया और अपीलार्थिया को वापस लौटना पडा। तब थानाधिकारी अशोक नगर जयपुर ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी। अपीलार्थिया ने दिनांक 26.05.2017 को श्रीमान के समक्ष एक साधारण प्रार्थना पत्र पेश किया। उसके उपरान्त कुछ असामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपीलार्थिया को कुछ सहयोग दिया एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय से मिल कर आवेदक की समस्या व प्रकरण के बारे में अवगत करवाया। श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश दिनांक 08.06.2017 से पुलिस जाब्ता के साथ अपीलार्थिया को मकान में भेजा गया व पुलिस संरक्षण में मुख्य दरवाजा व गेट का ताला खुलवा कर घर में प्रवेश करवाया। अपीलार्थिया की सुरक्षा के लिए रात मे पुलिस कर्मी वहां पर रहे, परन्तु सामाजिक कार्यकर्ताओं व पुलिस कर्मियों के साथ जब आवेदक ने कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अपीलार्थिया के कमरे में आलमारियां खाली थी एवं दराज वगैरह बाहर पटके हुये थे। बैंक के दस्तावेज पास बुक, चैक बुक, कागजात एवं अन्य सभी सामग्री चोरी कर लिये थे। अन्दर लकडी की घिसाई का काम चालू कर रखा था। अपीलार्थिया की मूल्यवान वस्तु व 1,50,000/–रूपये व 2,00,000/–रूपये नगद गायब मिले। अपीलार्थिया की अलमारी को तोड दिया गया। जिसके सम्बन्ध में अलग से आवेदक को पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर में रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। अपीलार्थिया को स्थायी रूप से पुलिस संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि वह वृद्व व अकेली है, जबकि रेस्पोडेन्टस अपीलार्थिया को हर प्रकार से हैरान व परेशान करने पर तुले हुये है। अपीलार्थिया के पास अपने जीविकोपोर्जन का कोई साधन नही है। अपीलार्थिया के पति स्व॰ श्री सागरमल जी रत्न व्यवसायी थे और करोडों रूपयों की अतुल्य सम्पत्तियां छोड के गये है, जिसके वे मालिक थे उनके साथ अपीलार्थिया सम्पूर्ण सुख सुविधाओं के साथ रहती थी, परन्तु अभी सारी सम्पत्तियों को रेस्पोडेन्टस ने अपने कब्जे व अधिकार में कर ली है और अपीलार्थिया की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुये अपीलार्थिया के कमरे व आलमारी का ताला तोड कर अपीलार्थिया के

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जेवरात व अन्य मूल्यवान वस्तुयें जो कि करोडों रूपयों की थी व नगद राशि 1,50,000/– रूपये व 2,00,000/–रूपये लेकर चले गये है। अपीलार्थिया को अपने भरण पोषण, चिकित्सकीय खर्च व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रति माह 1,00,000/–रूपये दिलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अपीलार्थिया पूर्व में जिस स्तर से अपना जीवन यापन कर रही थी, उस अनुरूप जीवपयान के लिए राशि दिलवाई जावे एवं आवेदक को उसके रिहायशी परिसर से बेदखल ना करें, ना ही पानी बिजली की सुविधा से वंचित करे। अपीलार्थिया को कोई भरण पोषण की सुविधा नही दी जा रही है और ना ही उसकी सार संभाल व देखभाल की जा रही है। इसलिए अपीलार्थिया को रेस्पोडेन्टगण से अपीलार्थिया के पूर्व जीवन स्तर के अनुरूप भरण पोषण, चिकित्सा, निवास इत्यादि की राशि एक लाख रूपये प्रति माह दिलवाई जावे। अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण ने रिहायश करने में भी बाधा पैदा कर रखी है तथा अपीलार्थी का रिहायशी परिसर से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। जिस हेतु रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलार्थिया को धमकी भी दी जा रही है। जिसे रोका जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। अतः अपील स्वीकार कर माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 15.12.2017 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थिया को किसी तरह से बेदखल नहीं करें तथा अपीलार्थिया को शांतिपूर्वक निवास करने दिये जाने के आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या एक के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को भरण पोषण के लिए कभी इंकार नहीं किया समय समय पर भरण पोषण की राशि अपीलार्थी को भुगतान की गई है। अपीलार्थिया अधिकांश समय बाहर रहती है। अपीलार्थिया के यदा कदा जयपुर आने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उसकी अच्छी सेवा सुश्रुषा की गई तथा अपीलार्थिया की ईच्छानुसार उसके अन्यत्र निवास के दौरान भी रहन सहन, खान पान व चिकित्सा आदि के लिए भरण पोषण बतौर धन राशि का भुगतान अपीलार्थिया को किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने बार एक साथ पच्चीस हजार रूपया, तीस हजार रूपया व चालीस हजार रूपये का भुगतान किया है। जिससे अपीलार्थिया भरण पोषण आसानी से कर सकें। सागरमल भण्डारी की मृत्यु के पश्चात करीब साढे लाख रूपया से अधिक राशि अपीलार्थिया को भुगतान की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट 1 व 3 श्री सागरमल भण्डारी द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार उसी मकान के मालिक है। अपीलार्थिया की किसी भी सम्पत्ति को अपने कब्जे व अधिकार में नही लिया है। ना ही अपीलार्थिया के कमरा व आलमारी का ताला तोडा है और ना ही जेवरात, अन्य दस्तावेज व नकदी चुराई है। अपीलार्थिया स्वयं अपनी मर्जी से अपना स्वतंत्र जीवन जीती है, जिसमें रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया का जीना दुर्भर करने के तथ्य कतई गलत है। अपीलार्थिया के सम्पूर्ण भरण पोषण की व्यवस्था स्वर्गीय श्री सागरमल भण्डारी जी ने उनकी मृत्यु से पूर्व ही की हुई है तथा अपीलार्थिया के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। उपरोक्त के बावजूद रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थिया को भरण पोषण के लिए कभी इन्कार नही किया तथा समय समय पर भरण पोषण राशि आवेदक को भुगतान की गई। मकान नं॰ ई 23, गोखले मार्ग सी स्कीम जयपुर अपीलार्थिया का निवास स्थान नहीं है। न ही उक्त सम्पत्ति में निवास करने का अपीलार्थिया को कोई अधिकार है। आवेदक केवल मात्र रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति को हडपने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट के आवास एव निवास मे प्रवेश कर गई है तथा रेस्पोडेन्ट को प्रताडित कर रही है। अतः अपीलार्थीया की अपील खारिज फरमावे।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम के प्रावधानुसार रेस्पोडेटन्ट संख्या एक से 9000/–रूपये प्रति माह अपीलार्थी को बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने आदेश दिया है, जिसे अपीलार्थी ने कम बताते हुये प्रत्यर्थीगण से एक लाख रूपये प्रति माह भरण पोषण राशि की मांगी की है, परन्तु अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत भरण पोषण के लिए अधिकतम राशि 10,000/–रूपया तक दिये जाने का ही प्रावधान है। इसलिए अपीलार्थी का भरण पोषण बाबत एक लाख रूपये दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य नही है।

8. रेस्पोडेन्ट 1 व 3 के पिता स्व॰ सागरमल भण्डारी ने अपनी पूर्व पत्नी का देहान्त हो जाने के पश्चात अपीलार्थिया से विधिवत दूसरा विवाह किया है। इस प्रकार अपीलार्थिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की सौतेली माता है। मकान नं॰ ई 23, गोखले मार्ग सी स्कीम जयपुर रेस्पोडेन्ट को उनके पिता से प्राप्त हुआ है। इसलिए अपीलार्थी को अपने स्वर्गीय पति की सम्पत्ति में रहने का अधिकार है। इसलिए अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

9. अपीलार्थिया को मकान नं॰ ई 23, गोखले मार्ग सी स्कीम जयपुर के एक कमरे में बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्ण जीवन यापन करने देने हेतु एवं अपीलार्थिया के साथ किसी तरह से दुर्व्यवहार, मारपीट, लडाई झगडा, गाली गलौच, अपशब्दों का प्रयोग आदि नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द किया जाता है।

10. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निणर्य आज दिनांक 25.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर